"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 — आषाढ़ 13, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक/2987/एफ 1-2/2017/रास/यू.-19. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानानुसार ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने हेतु कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

1.	डॉ. एस. के. वर्मा, पूर्व-कुलपति सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर (छ. ग.).	-	प्रायोजक निकाय (ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद.
2.	डॉ. धीरज संघी, अधिष्ठाता (अकादमिक) इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली.	-	प्रायोजक निकाय (ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद.
3.	डॉ. एन. पी. दीक्षित, कुलपति, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.).	-	उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति.

2. कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. एन. पी. दीक्षित को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने से आठ सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.